18/11/3 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। रिपोर्ट ग्राम पंचायत प्राप्त। अधिवक्ता द्वारा अपील को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की है। बहस अधि. उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के कथनों से स्पष्ट होने पर अपील अपीलान्ट की स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर आज्ञप्ति पत्रावली किया। पत्रावली नकल युक्त होकर नस्ती किया हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर